भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*236
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

***236. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:**
डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं और केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है और विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री पशुपति कुमार पारस)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

"प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना" के बारे में दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *236 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017-18 से देश भर में केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला स्कीम-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकार के महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है और इसने देश के खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 14 $^{वें}$ वित्त आयोग चक्र (एफसीसी) अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया था। 15 वें एफसीसी अवधि के दौरान 4600 करोड़ रुपये का परिव्यय जिसमें प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए 2630 करोड़ रुपये शामिल हैं, आवंटित किए गए हैं। दिनांक 30.11.2023 तक, कुल 29,828.86 करोड़ रु. की परियोजना लागत के 1401 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें 8,611.74 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता शामिल है। कुल 1401 परियोजनाओं में से अब तक 832 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 218.43 लाख मीट्रिक टन की प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता का सृजन हो गया है, 9.77 लाख रोजगार पैदा हुए हैं और 32.78 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ग): पीएमकेएसवाई मांग आधारित योजना है। सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, संयुक्त उद्यम, गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, निजी क्षेत्र की कंपनियां, साझेदारी फर्म, प्रोपराइटरशिप फर्म आदि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। एमओएफपीआई समय-समय पर पात्र संस्थाओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित करता है। कुल 1401 अनुमोदित परियोजनाओं में से अब तक राज्य सरकारों और उनके संगठनों की 70 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं । उनका राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत किए गए बजटीय आवंटन और व्यय इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	**राशि करोड़ ₹ में**		
	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**
2021-22	शून्य	10.00	9.27
2022-23	1022	801	489.83
2023-24	1530	-	98.77 (दिनांक 11.12.2023 को)

*****

अनुबंध

"प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना" के संबंध में दिनांक 19.12.2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *236 भाग के (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्य सरकारों और उसके संगठनों के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	4
2	असम	5
3	बिहार	2
4	गोवा	1
5	गुजरात	6
6	हरियाणा	4
7	हिमाचल प्रदेश	1
8	जम्मू एवं कश्मीर	4
9	कर्नाटक	2
10	केरल	3
11	महाराष्ट्र	1
12	उड़ीसा	1
13	पंजाब	8
14	तमिलनाडु	14
15	तेलंगाना	2
16	उत्तर प्रदेश	4
17	मणिपुर	1
18	मेघालय	2
19	नागालैंड	2
20	त्रिपुरा	1
21	सिक्किम	1
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
	कुल	**70**